राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : भीमसिंह लखावत, तहसीलदार

मिसल संख्या : 20/17

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 30.08.2017 निर्णय दिनांक : 03.10.2017

राजस्थान सरकार बनाम छोटूनाथ पुत्र जगनाथ जाति नाथ नि0 बूटीनाथपुरा

तहसीलदार
तहसील कुचामन सिटी

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का शिव द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि छोटूनाथ पुत्र जगनाथ जाति नाथ निवासी बूटीनाथपुरा नें ग्राम बूटीनाथपुरा के खसरा नम्बर 516 कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर में से रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गै.मु. नाडी भूमि पर सम्वत 2074 में पक्का मकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किये किया गया। नोटिस की प्रति अतिक्रमी स्वय ने प्राप्त कि। गैर सायल उपस्थित हुआ तथा जवाब व पट्टा की प्रति पेश कर कथन किया कि उक्त भूमि का ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया हुआ हैं, जो आबादी की भूमि है। उक्त भूमि अतिक्रमण नही होना बताया गया। प्रस्तुत पट्टे की छाया प्रति जो कि साक्ष्य में ग्राहय योग्य दस्तावेज नही है एवं पूर्ण विश्वसनीय दस्तावेज भी प्रतीत नही होता है।

गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब व पट्टा की प्रति के साथ ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है कि जिससे प्रार्थना –पत्र मे उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि हो सके एवं उक्त भूमि आज दिन भी राजस्व रीकोर्ड में गैर मु. नाडी दर्ज है। गैर मु. नाडी किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में है जिसमें कभी भी किसी तरह का स्वामित्त प्राप्त नही हो सकता। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि गैर सायल ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है । एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

तहसीलदार
तहसील कुचामन सिटी (नागौर)

गैर सायल को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम बूटीनाथपुरा के आराजी राज खसरा नम्बर 516 कुल रकबा 0.43 हैक्टेयर गै.मु. नाडी भूमि में से रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप गैर सायल पर लगाान 0.15 का पच्चास गुणा से राशि 8/– अक्षरे आठ रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को गैर सायल को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार कुचामन सिटी

(भींमसिंह लखावत)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर –राज0